फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

बजरंग सिंह बनाम किशन सिंह

65/25 PR

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
14/8/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.के.उप। अप्रार्थी-1 की ओर से जवाब-प्रा० पत्र पेश हुआ। वास्ते बहस दिनांक 22/8/25 को पेश हो। ह० [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु॰ जयपुर	किशनसिंह
22/8/25	पत्रावली आज दिनांक 22-8-25 को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एड. बार एसो. जयपुर द्वारा कन्डोलेन्स की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26/8/25 को पेश हो।	
26/08/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ०उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रस्तुत तर्कों, दस्तावेजों के आधार पर दिनांक 02/06/2025 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। ह० [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु॰ जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 65 / 2025 **प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक 02.06.2025**

बजरंग सिंह पुत्र नाहर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम टाडावास तहसील जालसू जिला जयपुर।

......प्रार्थी

बनाम

1. किशन सिंह पुत्र नाहर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम टाडावास तहसील जालसू जिला जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, तहसील जालसू, जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक महोदय तहसील जालसू जिला जयपुर ।

.......अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 26.08.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वाके ग्राम टाडावास पटवार हल्का जयसिंहपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर मे स्थित आराजी कृषि भूमि खाता संख्या नया 20 पुराना 109 के हाल खसरा न. 792/1166 रकबा 0. 1000 है., खसरा न. 795 रकबा 0.7500 है., खसरा न. 796 रकबा 0.3800 है., खसरा न. 797 रकबा 0.1100 है., खसरा न. 798 रकबा 0.4800 है., खसरा न. 800 रकबा 2.5400 है., खसरा न. 801 रकबा 0.5900 है., कुल किता 07 कुल रकबा 4.9500 हैक्टेयर भूमि मे प्रार्थी का हिस्सा 1/2 व शेष हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम वर्तमान जमाबंदी संवत् 2073–2076 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अमल है इस प्रकार उक्त भूमि पर प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि को आगे चलकर सुविधा की दृष्टि से विवादित आराजियात के नाम से संबोधित किया जायेगा। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजियात में प्रार्थी एवम् अप्रार्थी संख्या 1 सहकाश्तकार है तथा मनबठ के आधार पर प्रार्थी अपने हिस्से पर पुख्ता तारबन्दी कर काश्त करता है अप्रार्थी संख्या 1 पहले तो मनबठ के आधार व कब्जे काश्त के आधार पर मौखिक विभाजन के लिये हामी भरते रहे लेकिन अब इनके मन में खोट आ जाने के कारण एंव प्रार्थी को परेशान करने की गरज से बिना विधिवत तकासमा करवाये ही प्रार्थी के हिस्से में आई भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमदा है तथा प्रार्थी को ऐलानिया धमकी देते है कि बिना विधिक विभाजन कराये शामलाती काश्त की भूमि का बेचान सोसायटी या अन्य व्यक्तियों को कर देगें जो उक्त भूमि को छोटे–छोटे भूखण्डो में विभक्त कर कॉलोनी काट देंगे एवं जबरिया रूप से प्रार्थी को कब्जे कास्त कि भूमि से

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर

बेदखल कर देगे ऐसी अवस्था मे विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लाना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित भूमि पर पुख्ता निर्माण कर बेचान का इरादा कर रखा है अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 23.05.2025 को प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि पर निर्माण कार्य करने लगे तथा प्रार्थी को ऐलानीया धमकी दी की हम बिना विधिवत तकासमा करवाये ही भूमि पर निर्माण कार्य करके रहेगे तथा तुम्हे तुमहारे हिस्से से बेदखल करके रहेगे तब प्रार्थी ने जानकारी की तो मालूम चला कि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त वर्णित भूमि का बेचान करने एव भूमि पर निर्माण कार्य करवाने पर आमाद है एंव अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को ऐलानियां धमकी दी की शामलाती काश्त की भूमि को छोटे–छोटे भूखण्डो मे विभक्त कर अजनबी व्यक्तियों को बेचान कर देगे। वाद कारण 23.05.2025 को जब उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थना पत्र मे मद संख्या 1 में वर्णित आराजियात का बिना विधिवत् विभाजन करवाये ही निर्माण कार्य करने पर आमदा है व अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने पर उतारू हो गये ऐसी अवस्था में दावा बाबत विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा लाना आवश्यक हुआ। प्रार्थी को अधिकार है कि वह प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि का नियमानुसार अपने हिस्सेनुसार तकासमा करवाये चूंकि प्रार्थी जब तक वादग्रस्त भूमि का विधिवत् विभाजन नही हो जाता है तब तक प्रार्थी सम्पूर्ण भूमि की प्रत्येक इंच पर मालिक, अधिकारी व स्वामी है एंव जब तक वादग्रस्त भूमि का विभाजन नहीं हो जाता अप्रार्थी संख्या 1 को इस कदर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित विवादित आराजियान पर निर्माण कार्य नहीं करे ना ही दीगर व्यक्तियों को जरिये विक्रय पत्र, पट्टा इत्यादि द्वारा भूमि का अन्तरण नहीं करे एंव प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि पर अन्य व्यक्तियों को काबिज नही करावे ना ही भूमि को छोटे छोटे भूखण्डो मे विभाजित करे, ना ही मिट्टी उठावे, ना ही कच्ची पक्की सडक का निर्माण करे, ना ही मोबाईल टावर लगायें, ना ही प्रार्थी के कब्जे कास्त में किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वंय करे ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमेन से कराये एंव अप्रार्थी संख्या 2 को लैण्ड होल्डर होने के कारण से एंव अप्रार्थी संख्या 3 को भूमि के संबंध में पंजीयन का अधिकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है जो राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे, जो वादग्रस्त सम्पत्ति के मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में वर्णनानुसार वाद कारण दिनांक 23. 05.2025 को उत्पन्न होकर आज तक निरन्तर जारी है। प्रथम दृष्टया केस उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के पक्ष मे बखूबी साबित है, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है इसलिए अप्रार्थी को प्रार्थनीय रूप से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना न्यायोचित होगा। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाके ग्राम टाडावास पटवार हल्का जयसिंहपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर मे स्थित आराजी कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

भूमि खाता संख्या नया 20 पुराना 109 के हाल खसरा न. 792/1166 रकबा 0.1000 है., खसरा न. 795 रकबा 0.7500 है., खसरा न. 796 रकबा 0.3800 है., खसरा न. 797 रकबा 0.1100 है., खसरा न. 798 रकबा 0.4800 है., खसरा न. 800 रकबा 2.5400 है., खसरा न. 801 रकबा 0.5900 है., कुल किता 07 कुल रकबा 4.9500 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थी के कब्जे काश्त मे मदाखलत पैदा नही करे एंव भूमि का अन्य व्यक्तियों को बेचान नही करे, ना ही कोई कच्चा पक्का निर्माण करे, ना ही मकानात बनाये एंव ना ही बोरिंग बनवाये, एंव पेडो की कटाई ना करे, भूमि की किस्म को परिवर्तित ना करे, ना ही मोबाईल टावर लगाये, ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवाये एंव मौके एंव राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिती बनाये रखे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर विधिक आपत्ति विधिक आपत्ति दर्ज कर अंकित किया कि ग्राम टाडावास भू.अ.नि. जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 792/1166 रकबा 0. 1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 795 रकबा 0.7500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 796 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 797 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 798 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 800 रकबा 2.5400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 801 रकबा 0.5900 हैक्टेयर, कुल किता 7 कुल रकबा 4.95 हैक्टेयर भूमि में से खसरा नम्बर 798, 792/1166 में वादी एवं मिन उत्तरदाता के अलावा मोहन लाल पुत्र रामप्रताप व शिवचरण पुत्र मोहन लाल के नाम भी दर्ज है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद तकासमा का होने से एवं उक्त पक्षकारो को वाद में संयोजित नही किये जाने से जब वादी का वाद चलने योग्य ही नही है तो उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थी मिन उत्तरदाता के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वाद अधीन भूमि अलग अलग खातो को सामील कर भिन्न खातेदारो के सम्बंध में संयुक्त कर पेश किया गया है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 53 (5) के तहत "एक से अधिक जोतो के विभाजन के लिये एक वाद संस्थित किया जा सकेगा बशर्ते ... प्रकार वे ही हो।" इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद उक्त कानूनी प्रावधानो के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से मिन उत्तरदाता के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। ... जवाब ... भी पेश कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की मद सख्या 1 में वर्णित वाद पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है। परन्तु यहाँ यह वर्णित करना आवश्यक है कि प्रार्थी/वादी द्वारा विधि के प्रावधानो के विपरीत वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है जब वाद ही श्रीमान के समक्ष चलने योग्य नही है तो प्रार्थना पत्र में सफलता मिलना मात्र कोरी कल्पना है। प्रार्थना पत्र की

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर म. जयपुर

सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:13 IST
Reason: SelfAttested

मद संख्या 2 में वर्णित ग्राम टाडावास भू.अ.नि. जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 792 / 1166 रकवा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 795 रकवा 0.7500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 796 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 797 रकवा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 798 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 800 रकबा 2.5400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 801 रकबा 0. 5900 हैक्टेयर, कुल किता 7 कुल रकबा 4.95 हैक्टेयर होना स्वीकार है शेष कथन बयान मजीद में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद सख्या 3 जिस प्रकार वर्णित की गई है असत्य होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद सख्या 4 में उल्लेखित तथ्य कि वाद पत्र की मद सख्या 1 में उल्लेखित भूमि का वाद व उत्तरदाता संख्या 1 के मध्य अर्से पूर्व विभाजन किया जाकर पुख्ता तारबंधी कर मौके पर काबिज काश्त है स्वीकार है। परन्तु यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मिन उत्तरदाता पर वादी द्वारा दुर्राश्य पूर्वक छोटे छोटे भूखण्डो में विभाजित कर कॉलोनी काटने एवं वादी को कब्जे काश्त से बेदखल करने के आरोप मिथ्या अंकित किये है जो गलत होने से अस्वीकार है। जहाँ तक कब्जा काश्त का प्रश्न है तो जवाब दावे के साथ सलग्न परिशिष्ट (क) के अनुसार मिन उत्तरदाता अलग अलग काबिज काश्त होकर व मकानात बनाकर निवास करते चले आ रहे है यदि विधि के प्रावधानो के अनुसार उपरोक्त वर्णित कथनोनुसार तकासमा किया जाता है तो मिन उत्तरदाता को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थना पत्र की मद सख्या 5 व 6 जिस प्रकार से वर्णित की गई है असत्य होने के कारण अस्वीकार है। वादी कथित दिनांक 23—05—2025 को मिन उत्तरदाता से कभी नही मिला तो निर्माण करने एवं प्रार्थी को ऐलानिया धमकी देने का प्रश्न कतई उत्पन्न नही होता है। वादी द्वारा बिना वाद कारण उत्पन्न हुये ही वाद पेश किया है जो वाद कारण के अभाव में काबिले खारिज है जब वादी का वाद ही खारिज योग्य है तो प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 जिस प्रकार वर्णित की गई है असत्य होने के कारण अस्वीकार है बल्कि मिन उत्तरदाता वादग्रस्त आराजीयात में अपने हिस्से में आयी भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। तथा मिन उत्तरदाता वादग्रस्त आराजीयात का रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे आराजी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग लेने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 का विस्तृत जवाब प्रार्थना पत्र की मद सख्या 5 में दिया जा चुका है पुनः दौराने की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र की मद सख्या 9, 10 व 11 में प्रार्थी द्वारा प्र[illegible] का उल्लेख किया परन्तु उक्त मद में प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला किस प्र[illegible] है [illegible]दी महत्वपूर्ण तथ्यो का उल्लेख नही किया है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजीया[illegible]का रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला मिन[illegible]में है तथा रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार को अपनी भूमि का प्रत्येक प्रकार से उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई अपूर्णीय़ क्षति कारित नही हो रही है। यदि अप्रार्थी को पाबंद किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को नही होकर बल्कि अप्रार्थी को होगी। अतः न्यायालय श्रीमान

सहायक कलक्टर आमेर जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 65/2025
बउनवानी – बजरंग सिंह बनाम किशनसिंह वगै0
निर्णय दिनांक :– 26.08.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर

के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू को देखा जाना है। प्रार्थी ने जाहिर किया है कि उक्त आराजी का बंटवारा नहीं हुआ है अप्रार्थीगण बिना विभाजन के आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर उतारू है अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 जाहिर किया है कि उक्त आराजी में रिकॉर्डेड खातेदार ओर भी है अतः उनको पक्षकार बनाया जावे इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उक्त के संबंध में उल्लेखनिय है कि वादपत्र प्रस्तुत करते समय उक्त आराजी में केवल रिकॉर्डेड खातेदार केवल वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ही थे बाद में बेचान के जरिये अन्य व्यक्ति खातेदार बने है चूकि वाद बंटवारे का है इसलिए आराजी का संरक्षण करना आवश्यक प्रतीत होता है। यदि अविभाजित भूमि को खुर्द फुर्द किया जाता है तो वाद बाहुल्यात बढेगी इसलिए अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में होगी। जिससे प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण के वाद पत्र का औचित्य समाप्त हो सकता है तथा अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है, इसलिए अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः दिनांक 02.06.2025 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है।

प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:21:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर